संख्याः 37 /2016 /894/तीस-1-2016-5(8)/2015

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 13 दिसम्बर, 2016**

विषयः बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-578बी/डीए/प0/16, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-28/495/तीस-1-2015-5(8)/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण कराये जाने के आगणन के आधार पर निर्माण लागत के रूप में रू0 498.64 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-13/2016/98/तीस-1-2016-5(8)/2015, दिनांक 30 मार्च, 2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू० 230.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अब तक कुल रू० 300.00 लाख (रू० तीन करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण कार्य हेतु कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण हेतु तृतीय किश्त के रूप में रू० 198.64 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त बस स्टेशन कासगंज के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू० 498.64 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 198.64 लाख (रूपये एक करोड़ अठ्ठानबे लाख चौसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं की अनुमोदित

http://shasanadesh.up.nic.in

लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्वि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- उक्त आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 डिपाजिट आदि खाते में जमा नहीं की जायेगी।

4- भवन का निर्माण समयबद्धता से पूर्ण कराया जाय। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों तथा पर इस संबंध में समय-समय पर दिये गये निर्देशो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

6- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का होगा।

7- उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत किया जायेगा।

8- अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश-28/495/तीस-1-2015-5(8)/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुरूप यथावत रहेंगी।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह०
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्याः 37/2016/894/(1)/तीस-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।**
3. **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।**
4. **प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।**
5. **प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।**
6. **वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।**
7. **वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।**
8. **वित्त नियन्त्रक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।**
9. **नियोजन अनुभाग-4 ।**
10. **वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।**
11. **निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।**
12. **गाई फाइल।**

आज्ञा से,
ह०
(सन्त लाल)
अनु सचिव।

http://sna.up.nic.in